फाइल सं. एन-11013/22/2016-एफडी
भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
(राजकोषीय विकेंद्रीकरण प्रभाग)

11वां तल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग,
के. जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 09 मार्च, 2017

विषय : चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन पर राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने हेतु गठित समन्वय समिति की दिनांक 14 फरवरी, 2017 को आयोजित चौथी बैठक का कार्यवृत्त ।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर सचिव, पंचायती राज की अध्यक्षता में दिनांक 14.02.2017 को आयोजित समन्वय समिति की बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न करने का निदेश दिया गया है।

(एन. पी. टोप्पो)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफैक्स: 011-23356124

संलग्नक: यथोपरि

सेवा में,

1. बैठक में भाग लेने वाले सभी सदस्य/प्रतिभागी।
2. सभी राज्यों के प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग।

निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रति:

1. एसपीआर के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
2. एएस (बीपी) के पीएसओ
3. संयुक्त सचिव (एसकेपी) के निजी सचिव
4. निदेशक (एफडी) के निजी सचिव

14 फरवरी, 2017 को आयोजित समन्वय समिति की चौथी बैठक का कार्यवृत्त ।

चौदहवें वित्त आयोग (एफ एफ सी) की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन पर राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने हेतु वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के दिनांक 08 अक्टूबर, 2015 के दिशानिर्देशों के अनुसार पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) द्वारा गठित समन्वय समिति की चौथी बैठक सचिव, पंचायती राज मंत्रालय (एसपीआर) की अध्यक्षता में दिनांक 14 फरवरी, 2017 को अपराह्न 03:00 बजे पंचायती राज मंत्रालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। इस बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

2. बैठक की की शुरुआत में संयुक्त सचिव ने सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, राज्यों और अन्य मंत्रालयों से आए समित्ति के सदस्यों का स्वागत किया।

3. तत्पश्चात, निदेशक (एफडी) ने कार्यसूची टिप्पणियों पर बिंदुवार प्रस्तुती दी।

(I) समिति ने दिनांक 20.10.2016 को आयोजित समन्वय समिति की तीसरी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की ।

(II) समिति को राज्यों के लिएअनुदान जारी करने और अनुशंसा की स्थिति से अवगत कराया गया-

क. बुनियादी अनुदान (बीजी):

(I) **वित्त वर्ष 2015-16 के लिए** -

- पहली किस्त के रूप में 10781.60 करोड़ रुपये की राशि सभी 26 राज्यों को जारी की गई है और 10429.24 करोड़ रुपये की राशि 24 राज्यों को दूसरी किस्त के रूप में जारी की गई है। कुल मिलाकर जारी की गई राशियां 21210.84 करोड़ रुपये (98.08%) हैं, जबकि कुल आवंटन 21624.46 करोड़ रुपये था।
- वित्त वर्ष 2015-16 की दूसरी किस्त 2 राज्यों (असम और गोवा) को जारी नहीं की गई है। इन राज्यों से संशोधित उपयोग प्रमाण पत्र अभी भी प्राप्त नहीं किया गया है जिसमें राज्यों द्वारा वित्त वर्ष 2015-16 के लिए बुनियादी अनुदान की पहली किस्त ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने तथा क्रमशः 162 दिनों और 157 दिनों की विलंबित अवधि के लिए आरबीआई की बैंक दर पर दंडात्मक ब्याज को दर्शाया जाना अपेक्षित है।

(II) **वित्त वर्ष 2016-17 के लिए**

- पहली किस्त के रूप में 12548.25 करोड़ रुपये की राशि 19 राज्यों को जारी की गई है और 6846.73 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त 12 राज्यों को जारी की गई है। कुल मिलाकर, 19394.98 करोड़ रुपये (64.7%) की राशि जारी की गई है, जबकि कुल आवंटन 29942.87 करोड़ रुपये था।

- 2 राज्यों (केरल और पंजाब) को वित्त वर्ष 2016-17 की पहली किस्त जारी करने का मामला वित्त मंत्रालय के पास लंबित है। वित्त वर्ष 2015-16 की दूसरी किस्त के लिए 3 राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पश्चिम बंगाल) से उपयोग प्रमाण पत्र अभी प्राप्त नहीं हुआ है। 2 राज्य (आसम और गोवा) पात्र नहीं हैं क्योंकि उन्होंने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए दूसरी किस्त का लाभ नहीं उठाया है। (असम और गोवा)।
- 4 राज्यों (आंध्र प्रदेश, सिक्किम, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश) को वित्त वर्ष 2016-17 की दूसरी किस्त जारी करने का मामला वित्त मंत्रालय के पास लंबित है। वित्त वर्ष 2016-17 की पहली किस्त के लिए 3 राज्यों (बिहार, छत्तीसगढ़ और मणिपुर) से उपयोग प्रमाण पत्र अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

समिति द्वारा निदेश :

- **वित्त मंत्रालय को केरल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश को बुनियादी अनुदान की लंबित किस्ते जारी करने में शीघ्रता करनी होगी।**

[कार्रवाई: वित्त मंत्रालय]

- पंचायती राज मंत्रालय को कुछ राज्यों, विशेष रूप से असम और गोवा से बात करे कि वे ताकिआगामी किस्त जारी करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय की अनुशंसा समिति के विचार हेतु लंबित/संशोधित उपयोग प्रमाण पत्र जमा करें।

[कार्रवाई: पंचायती राज मंत्रालय]

ख. वित्त वर्ष 2016-17 के लिए निष्पादन अनुदान (पीजी):

(क) निष्पादन अनुदान (पीजी) की अनुशंसा और जारी की गई निधियों की समीक्षा:

- समिति ने दिनांक 20-10-2016 को आयोजित तीसरी समन्वय समिति की बैठक में 3927.66 करोड़ रुपये के कुल आवंटन के विपरीत 21 राज्यों को वित्त वर्ष 2016-17 का निष्पादन अनुदान (3158.96 करोड़ रुपये) जारी करने की अनुशंसा की है। वित्त मंत्रालय ने 2128.69 करोड़ रुपये (कुल आवंटन का 55.57%) 15 राज्यों को जारी किए हैं।
- अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश 6 शेष राज्य हैं।

समिति द्वारा निदेश :

- **वित्त मंत्रालय शेष 6 राज्यों को वित्त वर्ष 2016-17 के बुनियादी अनुदान जारी करने में शीघ्रता लाएं।**

[कार्रवाई: वित्त मंत्रालय]

(ख) शेष 5 राज्यों द्वारा निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के लिए परिचालन मानदंडों पर योजनाओं की अधिसूचना

- शेष 5 राज्यों अर्थात, असम, बिहार, झारखंड, केरल और उत्तराखण्ड ने पात्र ग्राम पंचायतों के लिए निष्पादन अनुदान का लाभ उठाने के लिए परिचालन मानदंडों पर योजनाएं अधिसूचित की हैं। उपर्युक्त 5 राज्यों द्वारा प्रस्तुत योजनाएं इन राज्यों को 2016-17 के लिए निष्पादन अनुदान जारी करने की स्वीकृति और अनुशंसा के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थीं। राज्यों द्वारा अधिसूचित योजनाओं की प्रतियां **अनुलग्नक-II** में दी गई हैं।

समिति की राज्य-वार टिप्पणियाँ/विचार-विमर्श/अनुशंसाएं इस प्रकार हैं:

(i) असम - राज्य सरकार ने दिनांक 14-2-2017 के ज्ञापन संख्या पीडीए89/2015/314 के माध्यम से योजना को अधिसूचित किया है। इस अधिसूचना के अनुसार, निष्पादन अनुदान केवल उन्हीं ग्राम पंचायतों को जारी किया जाएगा जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं:

क) ग्राम पंचायतों को उस वर्ष का लेखापरीक्षित लेखा प्रस्तुत करने होंगे, जो ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादन अनुदान का दावा करने के वर्ष से दो वर्ष पहले के न हों।

ख) ग्राम पंचायतों को पिछले वर्ष की तुलना में अपने स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) में न्यूनतम 10% की वृद्धि दिखानी होगी, जो कि लेखापरीक्षित खातों में दर्शाया गया हो।

- **समिति ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए असम राज्य को निष्पादन अनुदान जारी करने की अनुशंसा की, क्योंकि राज्य ने चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार पात्रता और वितरण मानदंड अधिसूचित कर दिए हैं। [कार्रवाई: पंचायती राज मंत्रालय और वित्त मंत्रालय]**

(ii) बिहार - राज्य सरकार ने दिनांक 8-9-2016 के पत्र संख्या VI.एए(14)केए- 29/2015/7197 के माध्यम से योजना को अधिसूचित किया है। अधिसूचना के अनुसार, ग्राम पंचायतों को वित्त वर्ष 2016-17 के लिए निष्पादन अनुदान का लाभ उठाने के लिए पात्र बनने हेतु निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

क) ग्राम पंचायतों को उस वर्ष का लेखापरीक्षित लेखा प्रस्तुत करने होंगे, जो ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादन अनुदान का दावा करने के वर्ष से दो वर्ष पहले के न हों, अर्थात वित्त वर्ष 2016-17 के लिए निष्पादन अनुदान जारी कराने के लिए ग्राम पंचायतों को वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा जमा करने होंगे।

ख) चूंकि पंचायतों ने कोई कर नहीं लगाया, इसलिए वित्त वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए निष्पादन अनुदान लेखापरीक्षित लेखा संपन्न होने के आधार पर प्रदान किया जा सकता है। पंचायतों को वित्त वर्ष 2017-18 से कर लगाने के बाद, स्वयं के राजस्व स्रोत में बढ़ोतरी करनी होगी।

- **समिति ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए बिहार राज्य को निष्पादन अनुदान जारी करने की अनुशंसा नहीं की, क्योंकि बिहार राज्य यह कहते हुए कि चूंकि ग्राम पंचायतें कोई कर नहीं लगाती हैं जो चौदहवें वित्त**

आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप नहीं है, इसलिए उसे वित्त वर्ष 2017-18 तक स्वयं के राजस्व स्रोत में वृद्धि की अनुप्रयोज्यता व शर्त से छूट दी जाए।

[कार्रवाई: पंचायती राज मंत्रालय/बिहार राज्य]

(iii) झारखंड - राज्य सरकार ने दिनांक 20-1-2017 के पत्र संख्या 02 जीए वाईओ-05/2015/238 के माध्यम से पात्रता और वितरण योजना अधिसूचित की। इस अधिसूचना के अनुसार, ग्राम पंचायतों को वित्त वर्ष 2016-17 के लिए निष्पादन अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र बनने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

क्र. सं.	निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के लिए शर्तें	शर्तें पूरी करने पर भुगतान की गई राशि	मानदंड
1	2	3	4
1.	लेखापरीक्षित रिपोर्टें	90%	ग्राम पंचायतों को उस वर्ष के लेखापरीक्षित लेखा प्रस्तुत करने होंगे, जो ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादन अनुदान का दावा करने के वर्ष से दो वर्ष पहले के न हों।
2.	स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) में बढ़ोतरी	10%	जीपी को पिछले वर्ष की तुलना में अपने ओएसआर में वृद्धि दिखानी होगी, जो कि लेखापरीक्षित लेखाओं में दर्शाया गया हो। पीजी का वितरण जीपी के ओएसआर में वृद्धि के बराबर अनुपात में किया जाएगा।

- **समिति ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए झारखण्ड राज्य को निष्पादन अनुदान जारी करने की अनुशंसा की, क्योंकि राज्य ने चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार पात्रता और वितरण मानदंड अधिसूचित कर दिए हैं। [कार्रवाई: पंचायती राज मंत्रालय और वित्त मंत्रालय]**

(iv) केरल - राज्य सरकार ने दिनांक 04-02-2017 के पत्र सं. एफएम3/180/2015/एलएसजीडी के माध्यम से इस योजना को अधिसूचित किया । राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार,

(1) ग्राम पंचायत को उस वर्ष के लेखापरीक्षित लेखा की प्रतिलिपि प्रत्येक वर्ष के जून माह के पहले सप्ताह तक उप निदेशक, पंचायत को प्रस्तुत करनी होगी, जो ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादन अनुदान का दावा करने के वर्ष से दो वर्ष पहले के न हों। वित्त वर्ष 2016-17 के लिए निष्पादन अनुदान का दावा करने हेतु 2014-15 के लेखापरीक्षित लेखा जमा करने होंगे। उप निदेशक, पंचायत आवेदन 15 जून तक निदेशक, पंचायत को अग्रेषित करेगा। दिशानिर्देशों में यथानिर्दिष्ट निष्पादन अनुदान के लिए पात्र स्थानीय निकायों की सूची के समेकन के उपरांत, निदेशक, पंचायत निष्पादन अनुदान के लिए पात्र स्थानीय निकायों की सूची 20 जून तक स्थानीय स्वशासन विभाग की सरकार को प्रस्तुत करेगा। राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष 10 जुलाई तक पात्र स्थानीय निकायों की सूची प्रकाशित करेगी। वर्ष 2016-17 के मामले में, उपर्युक्त प्रक्रिया नवंबर 2016 में पूरी की जाएगी।

(2) ग्राम पंचायतों को अपने लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में, अपने राजस्व में वृद्धि दिखानी होगी। केरल राज्य लेखा परीक्षा विभाग का निदेशक उन स्थानीय स्वशासनों की सूची प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा, जिन्होंने अपना राजस्व बढ़ाया है।

जनसंख्या, वंचन सूचकांक, क्षेत्र एवं कर जैसे प्रयास, जिन्हें केरल के चौथे एसएफसी की अनुशंसाओं के आधार पर अंगीकृत किया गया है, चौदहवें वित्त आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट दो अनिवार्य मानदंडों के आधार पर चयनित पात्र ग्राम पंचायतों के बीच निष्पादन अनुदान के संवितरण के लिए मानदंड होंगे।

चौथी एसएफसी रिपोर्ट के अनुसार वंचन सूचकांक अर्थात इन्डेक्स ऑफ डिप्रिवेशन (ID) का संगणन करने का सूत्र इस प्रकार है:

$$ID = [{}^{1}/_{5}(d_1{}^{\alpha} + d_2{}^{\alpha} + d_3{}^{\alpha} + d_4{}^{\alpha} + d_5{}^{\alpha})]^{1/\alpha}$$

जहाँ, ID वंचन सूचकांक है और d_1, d_2, d_3, d_4 एवं d_5 उन परिवारों का प्रतिशत है जिनके पास किसी ग्राम पंचायत में पांच बुनियादी सुविधाओं (आवास की स्थिति, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली और भूजोत) की कमी है और **α** एक भारांक मानदंड अथवा वेट पैरामीटर है, जिसे 3 के रूप में लिया गया है।

पात्र ग्राम पंचायतों में निष्पादन अनुदान के वितरण के लिए केरल राज्य द्वारा अपनाए जा रहे चौथे एसएफसी द्वारा सुझाया गया फॉर्मूला इस प्रकार है:

क्र. सं.	**मानदंड**	**भारांक** (%)
1.	जनसंख्या	50
2.	वंचन सूचकांक	30
3.	क्षेत्र	10
4.	कर प्रयास	10
	कुल	**100**

- **विस्तृत चर्चा के बाद, समिति ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए केरल राज्य को निष्पादन अनुदान जारी करने की अनुशंसा की क्योंकि राज्य ने चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार पात्रता और वितरण मानदंड अधिसूचित कर दिए हैं। [कार्रवाई: पंचायती राज मंत्रालय और वित्त मंत्रालय]**

(v**) उत्तराखण्ड** - राज्य सरकार ने दिनांक 16-5-2016 के पत्र संख्या 1121/2016-96(06)/2015 टी.सी-1 के माध्यम से योजना को अधिसूचित किया है। अधिसूचना के अनुसार, निष्पादन अनुदान केवल उन्हीं ग्राम पंचायतों को जारी किया जाएगा जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं:

(क) वित्त वर्ष 2016-17 के निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के लिए, ग्राम पंचायतों के वित्त वर्ष 2014-15 के लिए लेखापरीक्षित लेखा अनिवार्य हैं। इसी प्रकार से, वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 2015-16 के लेखापरीक्षित लेखा; वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 2017-18 के लिए लेखापरीक्षित लेखा; और 2019-20 के लिए लेखापरीक्षित लेखा अनिवार्य हैं।

(ख) ग्राम पंचायतों को पिछले वर्ष की तुलना में अपने राजस्व स्रोत में वृद्धि दिखानी होगी, जो कि लेखापरीक्षित लेखा में दर्शाया गया हो।

वितरण मानदंड:

- सर्वप्रथम, आबंटित 10% निष्पादन अनुदान सभी पात्र ग्राम पंचायतों को समान रूप से वितरित किया जाएगा।
- शेष राशि सभी पात्र पंचायतों के बीच आनुपातिक रूप से वितरित की जाएगी।

➢ **समिति ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए उत्तराखण्ड राज्य को निष्पादन अनुदान जारी करने की अनुशंसा की क्योंकि राज्य ने चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार पात्रता और वितरण मानदंड अधिसूचित कर दिए हैं। [कार्रवाई: पंचायती राज मंत्रालय और वित्त मंत्रालय]**

5. अन्य मुद्दे:

(i) **राज्यों में ग्राम पंचायतों द्वारा दी जाने वाली विभिन्न बुनियादी सेवाओं के लिए सेवा मानकों हेतु बेंचमार्क का विकास और सरकारी संपत्तियों को नागरिक सेवाएं प्रदान करने की एवज में स्थानीय निकायों को प्रतिपूर्ति देना:**

यह अध्ययन एनआईआरडी एंड पीआर, हैदराबाद द्वारा 42.78 लाख रुपये की कुल लागत पर संचालित किया जाएगा। अध्ययन एनआईआरडी एंड पीआर, हैदराबाद को सौंपा जाएगा, परंतु प्रस्ताव पर आईएफडी की सहमति तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद । **[कार्रवाई: पंचायती राज मंत्रालय / एनआईआरडी एंड पीआर]**

(ii) उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और बिहार राज्यों में पंचायतों के स्वयं के राजस्व स्रोत का निर्धारण:

समिति ने प्रभाग को आईएफडी प्रभाग से प्रस्ताव को शीघ्र अनुमोदित करवाने का सुझाव दिया है ताकि एआर एंड आरएस प्रभाग अध्ययन कर पाए। **[कार्रवाई: एफडी प्रभाग/एआर एंड आरएस प्रभाग]**

(iii) **चौदहवें वित्त आयोग अनुदान के उपयोग के लिए तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा क्रियाविधि /सामाजिक लेखापरीक्षा क्रियाविधि विकसित करने के संबंध में राज्यों द्वारा दिशानिर्देश जारी करना:**

अपर सचिव, व्यय विभाग द्वारा 28-10-2016 को ली गई बैठक में, यह निर्णय लिया गया कि ओ एवं एम और पूंजीगत व्यय के लिए चौदहवें वित्त आयोग की निधि के 10% आवंटन में से 1% राज्य सरकार द्वारा क्षमता निर्माण और तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा प्रणाली संचालित करने के लिए कायम रखा जाएगा। इस संबंध में चौदहवें वित्त आयोग

की सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु तैयार किए गए मॉडल दिशानिर्देश अवलोकन और विचार के लिए वित्त मंत्रालय को ईमेल से भेज दिए गए हैं। समिति ने एफडी प्रभाग को मसौदा मॉडल दिशानिर्देशों को पुनरीक्षा के लिए वित्त मंत्रालय को अग्रेषित करने का निदेश दिया। [**पंचायती राज मंत्रालय और वित्त मंत्रालय]**

(iv) सीएजी द्वारा अनुशंसित विशेषज्ञ संकाय सदस्यों का साथ लेकर स्थानीय निधि लेखा परीक्षकों के लिए एनआईआरडी एवं पीआर द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

डीजी, एनआईआरडी एवं पीआर ने बताया कि सीएजी ने स्पष्टीकरण हेतु प्रस्ताव में मुद्दे (अंतराल) उठाए हैं। प्रश्नों की पूर्ति करने के बाद संस्थान प्रस्ताव पंचायती राज मंत्रालय को भेजेगा। **(कार्रवाई: एनआईआरडी एवं पीआर)**

6. ओएसआर पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन:

पंचायती राज मंत्रालय चित्रकूट (मध्य प्रदेश) में ओएसआर पर दिनांक 28-2-2017 और 1-3-2017 को राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है, जहाँ राज्य विशिष्ट अनुभवों को साझा किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर राजस्व संग्रहण को बढ़ाने के संभावित तरीकों का पता लगाया जाएगा। कार्यशाला के लिए सभी 26 राज्यों (चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित स्थानीय निकाय अनुदान) के प्रधान सचिवों/सचिवों, पीआर विभागों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है। **[कार्रवाई: एमओपीआर]**

- समिति ने राज्यों को कार्रवाई करने के लिए आवश्यक परिणामों और मुख्य बिंदुओं को साझा करने का निर्देश दिया।

7. निष्पादन अनुदान का वितरण - वित्त मंत्रालय से स्पष्टीकरण

वित्त मंत्रालय ने दिनांक 6-2-2017 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से स्पष्टीकरण दिया है कि 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के बाद अधिसूचित और तत्पश्चात गठित स्थानीय निकाय क्रमशः वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के निष्पादन अनुदान की हिस्सेदारी के लिए पात्र नहीं होंगे।

- समिति ने प्रभाग से इस संबंध में सभी 26 राज्यों को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु एक एडवाइजरी जारी करने के लिए कहा। **[कार्रवाई: पंचायती राज मंत्रालय और सभी राज्य]**

8. सांख्यिकीय प्रकोष्ठ का सृजन

एसपीआर ने समिति को सूचित किया कि पंचायती राज मंत्रालय ने चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों को जारी करने और खर्च करने की जानकारी सहित पंचायतों की विभिन्न गतिविधियों पर डेटा एकत्र करने के लिए डिजाइन करके 59 प्रारूप सभी राज्यों को वितरित किए हैं। समिति ने पाया कि वित्त वर्ष 2015-16 के लिए केवल 6 राज्यों और वित्त वर्ष 2016-17 के लिए दो राज्यों ने डैशबोर्ड में डेटा अपलोड किया है।

- **चूंकि राज्यों की ओर से सूचना प्रस्तुत करने की गति बहुत धीमी है, इसलिए समिति ने एफडी प्रभाग को डैशबोर्ड के अद्यतनीकरण और भरे हुए प्रारूपों की प्राप्ति में तेजी लाने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करने का निदेश दिया। [कार्रवाई: पंचायती राज मंत्रालय और सभी राज्य]**

9. बुनियादी अनुदान के उपयोग के लिए बिहार राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश

बिहार सरकार ने दिनांक 27.1.2017 के पत्र के माध्यम से ग्राम पंचायतों को राज्य सरकार की योजनाओं यथा, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र के अलावा) पेयजल निश्चय योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के साथ सामंजस्य के लिए स्थानीय सड़कों के निर्माण सहित जल निकासी, जल आपूर्ति के तीन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर बुनियादी अनुदान का कम से कम 80% उपयोग करने का निदेश दिया है।

- समिति ने पाया कि चौदहवें वित्त आयोग अनुदानों के उपयोग के लिए ग्राम पंचायतों पर चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं और वित्त मंत्रालय के दिनांक 8-10-2015 के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने जैसी कोई भी शर्त नहीं लगाई जा सकती है। तथापि, यह ग्राम पंचायतों के लिए सुझावात्मक प्रकृति का हो सकता है। समिति ने बिहार राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों को जारी किए दिनांक 27.1.2017 के पत्र को वापस लेने के लिए एडवाइजरी जारी करने का निदेश दिया। **[कार्रवाई: पंचायती राज मंत्रालय और सभी राज्य]**

******

अनुलग्नक –I

पंचायती राज मंत्रालय के सम्मेलन हॉल, जे. पी. बिल्डिंग, नई दिल्ली में दिनांक 14.02.2017 को अपराह्न 3:00 बजे आयोजित समन्वय समिति की चौथी बैठक

प्रतिभागियों की सूची

क्र. सं.	**नाम एवं पदनाम**	**पता**
1.	श्री जे. एस. माथुर, सचिव	पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली
2.	श्री अंशु प्रकाश, एएस एवं एफए	पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली
3.	श्री एस. के. पाटजोशी, संयुक्त सचिव	पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली
4.	श्री एस. एस. प्रसाद, निदेशक (एफडी)	पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली
5.	श्री आर शिवकुमार, अवर सचिव	पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली
6.	श्री मनोज सहाय, प्रधान निदेशक	भारत का नियंत्रक और महालेखाकार कार्यालय, नई दिल्ली
7.	डॉ. डब्ल्यू. आर रेड्डी, महानिदेशक	एनआईआरडी एंड पीआर, हैदराबाद
8.	श्री गोपाल प्रसाद, निदेशक (एफसीडी)	व्यय विभाग (एफसीडी), वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली
9.	श्री जुगल जोशी, निदेशक	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, नई दिल्ली
10.	श्री प्रमोद कुमार, निदेशक (एलएसजी)	शहरी विकास मंत्रालय
11.	श्री नरेश कुमार, अवर सचिव	शहरी विकास मंत्रालय
12 .	श्री आर. बी.कौल, सहायक निदेशक (एफसीडी)	व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली
13.	श्री एम. मनोहर सिंह, अपर निदेशक,	पीआर विभाग, तमिलनाडु सरकार, चेन्नई
14.	श्री ए. के. दामले, निदेशक	पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ
15.	श्री गिरीश चड्ढा,	पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ

*****

असम सरकार
पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग
दिसपुर, गुवाहाटी

असम राज्यपाल द्वारा जारी आदेश

अधिसूचना

दिनांक , दिसपुर 14 फरवरी, 2017

संख्या पीडीए89/2015/314: इस विभाग की 28-12-2016 की अधिसूचना सं. पीडीए. 89/2015/282 में आंशिक संशोधन करते हुए, एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि चौदहवें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों में बुनियादी सेवाओं की योजना बनाने और उनकी प्रदायगी के लिए ग्राम पंचायतों को निधियों के आश्वस्त हस्तांतरण की अनुशंसा की है। चौदहवें वित्त आयोग अनुदान ग्राम पंचायतों को दो घटकों में जारी किया जाना है - (i) बुनियादी अनुदान और (ii) निष्पादन अनुदान। कुल निधि में से 90% अनुदान बुनियादी अनुदान के रूप में होगा और 10% अनुदान निष्पादन अनुदान के रूप में होगा। निष्पादन अनुदान वर्ष 2016-17 से ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए निष्पादन के आधार पर जारी किया जाएगा, क्योंकि यह एक सशर्त अनुदान है। सरकार द्वारा तय किए गए निष्पादन अनुदान का लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:

(क) ग्राम पंचायतों को उस वर्ष के लेखापरीक्षित लेखा प्रस्तुत करने होंगे, जो ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादन अनुदान का दावा करने के वर्ष से दो वर्ष पहले के न हों।

(ख) ग्राम पंचायतों को पिछले वर्ष की तुलना में अपने स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) में न्यूनतम 10% की वृद्धि दिखानी होगी, जो कि लेखापरीक्षित लेखाओं में दर्शाया गया हो।

निष्पादन अनुदान केवल उन्हीं ग्राम पंचायतों को जारी किया जाएगा, जो उपर्युक्त शर्तों को पूरा करेंगे। शर्तें पूरी होने पर ग्राम पंचायतों को अपना दावा आंचलिक पंचायत के माध्यम से संबंधित जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिशानिर्देशों के अनुसार सूचना को समेकित करेगा और उसे सरकार को प्रस्तुत करेगा।

ग्राम पंचायत के लिए निष्पादन अनुदान का प्रस्ताव ***अनुलग्नक -1*** के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।

असंवितरित अनुदान के संवितरण के लिए मानदंड:

यदि, पात्र ग्राम पंचायतों को संवितरण के बाद निष्पादन अनुदान की कुछ राशि शेष रह जाती है, तो असंवितरित राशि को उन सभी पात्र ग्राम पंचायतों के बीच यथोचित आधार पर संवितरित किया जाएगा जिन्होंने निष्पादन अनुदान प्राप्त करने की शर्तों को पूरा कर लिया था।

हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव, असम सरकार
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापन सं. **पीडीए89/2015/314** **दिनांक , दिसपुर 14 फरवरी, 2017**

प्रतिलिपि :

1. भारत सरकार के सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001।
2. निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय : यह उनके पत्र सं. आईएफ(32)एफएफसी/एफसीडी/015-16, दिनांक 08.10.2015 के संदर्भ में है।
3. आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जुरिपार, पंजाबाड़ी, गुवाहाटी-37, असम।
4. वित्त (बजट) विभाग, दिसपुर, गुवाहाटी-6.
5. निदेशक, वित्त (ईए), विभाग, दिसपुर।
6. माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री के निजी सचिव।
7. असम सरकार के अपर प्रधान सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, दिसपुर के निजी सचिव।

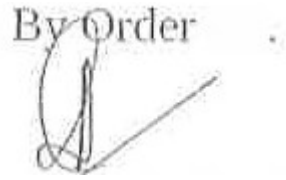

उप सचिव, असम सरकार

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

अनुलग्नक : I

चौदहवें वित्त आयोग के तहत निष्पादन अनुदान हेतु प्रस्ताव

जिले का नाम :

प्रखंड का नाम

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	वर्ष, जिसके लिए निष्पादन अनुदान का दावा किया जा रहा है	नवीनतम वर्ष जिसके लिए लेखा परीक्षा पूर्ण की गई है	एजेंसी का नाम जिसने लेखापरीक्षा की है	पिछले वर्ष स्वयं का राजस्व स्रोत	इस वर्ष स्वयं का राजस्व का स्रोत	स्वयं के राजस्व स्रोत में % वृद्धि	आयोजित ग्राम सभाओं की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	प्रियासॉफ्ट में डेटा कब तक कैप्चर किया गया है (माह बताएं)	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

असम सरकार
पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग
दिसपुर, गुवाहाटी

असम राज्यपाल द्वारा जारी आदेश

अधिसूचना

दिनांक , दिसपुर 14 फरवरी, 2017

संख्या पीडीए89/2015/314: चौदहवें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों में बुनियादी सेवाओं की योजना बनाने और उनकी प्रदायगी के लिए ग्राम पंचायतों को निधियों केआश्वस्त हस्तांतरण की अनुशंसा की है। चौदहवें वित्त आयोग अनुदान ग्राम पंचायतों को दो घटकों में जारी किया जाना है - (i) बुनियादी अनुदान और (ii) निष्पादन अनुदान। कुल निधि में से 90% अनुदान बुनियादी अनुदान के रूप में होगा और 10% अनुदान निष्पादन अनुदान के रूप में होगा। निष्पादन अनुदान वर्ष 2016-17 से ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए निष्पादन के आधार पर जारी किया जाएगा, क्योंकि यह एक सशर्त अनुदान है। सरकार द्वारा तय किए गए निष्पादन अनुदान का लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:

(क) ग्राम पंचायतों को उस वर्ष के लेखापरीक्षित लेखा प्रस्तुत करने होंगे, जो ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादन अनुदान का दावा करने के वर्ष से दो वर्ष पहले के न हों। तदनुसार, 2016-17 के निष्पादन अनुदान का लाभ उठाने के लिए, 2014-15 के लिए ग्राम पंचायतों के लेखा परीक्षित लेखा अनिवार्य हैं।

- ग्राम पंचायत के लेखाओं की लेखापरीक्षा या तो राज्य के महालेखाकार (एजी) द्वारा किया जाएगा या आंतरिक लेखापरीक्षा स्थानीय निधि लेखापरीक्षा द्वारा या राज्य सरकार के पैनल में सूचीबद्ध एक सीए फर्म द्वारा किया जाएगा। लेखा उस वर्ष से दो वर्ष पहले का न हो जिसमें ग्राम पंचायत निष्पादन अनुदान का दावा पेश करना चाहती है।
- ग्राम सभा एवं सामाजिक लेखापरीक्षा विभाग के दिशानिर्देशों के अनुरूप संचालित करना।
- लेखापरीक्षा टिप्पणियों की प्राप्ति की तिथि से तीन महीने के भीतर नियमित रूप से लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और लेखापरीक्षा रिपोर्ट अगली ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करने होगी।
- गाँव पंचायत के अंतर्गत प्राप्ति एवं व्यय वाउचर के अद्यतित विवरण प्रियासॉफ्ट में अपलोड किया जाना चाहिए।

भारांक : उपर्युक्त शर्त को पूरा करने के लिए 60% भारांक दिया जाएगा यानी, निष्पादन अनुदान का 60% पात्र गांव पंचायतों में समान रूप से वितरित किया जाएगा।

(ख) **ग्राम पंचायतों को पिछले वर्ष की तुलना में अपने स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) में वृद्धि दिखानी होगी, जो कि उनके लेखापरीक्षित लेखा में दर्शाया गया हो।**

- पिछले वर्ष के स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) से वित्त वर्ष 2016-17 में न्यूनतम 10% की वृद्धि
- पिछले वर्ष के स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) से वित्त वर्ष 2017-18 में न्यूनतम 20% की वृद्धि
- पिछले वर्ष के स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) से वित्त वर्ष 2018-19 में न्यूनतम 30% की वृद्धि
- पिछले वर्ष के स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) से वित्त वर्ष 2019-20 में न्यूनतम 40% की वृद्धि
- स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) में वृद्धि की निगरानी और अधिप्रमाणन पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट में दर्ज वाउचर के माध्यम से भी किया जाएगा।

भारांक : उपर्युक्त शर्त को पूरा करने के लिए 40% भारांक दिया जाएगा, यानी निष्पादन अनुदान का 40% पात्र गांव पंचायतों में समान रूप से वितरित किया जाएगा।

(ग) उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना

- चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों की दूसरी और उससे अगली किस्त तभी जारी की जाएगी जब पिछली क़िस्त के लिए कम से कम 60% उपयोग प्रमाण पत्र की प्राप्ति हो जाए।
- मासिक भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के कार्यालय को नियमित रूप से प्रस्तुत करना।

निष्पादन अनुदान केवल उन्हीं ग्राम पंचायतों को जारी किया जाएगा, जो उपर्युक्त शर्तों को पूरा करेंगे। शर्तें पूरी होने पर ग्राम पंचायतों को गांव पंचायत के सचिव एवं संबंधित ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर के साथ अपना दावा संबंधित आंचलिक पंचायत को प्रस्तुत करना होगा। बीडीओ प्रस्ताव की विवेचना करेगा और उसके बाद अपने प्रतिहस्ताक्षर के साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को भेजेगा। जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारीदिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक वर्ष सूचना को समेकित करेगा और उसे सरकार को प्रस्तुत करेगा।

अनुदानों पर उपार्जित ब्याज की राशि को अतिरिक्त संसाधन माना जाएगा और उसका उपयोग चौदहवें वित्त आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

ग्राम पंचायत के लिए निष्पादन अनुदान का प्रस्ताव ***अनुलग्नक -I*** के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।

असंवितरित अनुदान के संवितरण के लिए मानदंड:

यदि, पात्र ग्राम पंचायतों को संवितरण के बाद निष्पादन अनुदान की कुछ राशि शेष रह जाती है, तो असंवितरित राशि उन सभी पात्र ग्राम पंचायतों के बीच यथोचित आधार पर संवितरित की जाएगी, जिन्होंने निष्पादन अनुदान प्राप्त करने की शर्तों को पूरा कर लिया हो।

हस्ताक्षरित/-
अपर सचिव, असम सरकार
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापन सं. पीडीए89/2015/282-ए

दिनांक , दिसपुर 28 दिसंबर, 2016

प्रतिलिपि :

1. भारत सरकार के सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
2. निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय : यह उनके दिनांक 08.10.2015 के पत्र सं. आईएफ (32) एफएफसी/एफसीडी/015-16 संदर्भ में है।
3. आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जुरिपार, पंजाबाड़ी, गुवाहाटी-37, असम
4. असम सरकार के उप सचिव, वित्त (बजट) विभाग, दिसपुर।
5. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, दिसपुर।
6. माननीय मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निजी सचिव
7. असम सरकार के अपर प्रधान सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, दिसपुर के निजी सचिव
8. आयुक्त और असम सरकार के सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, दिसपुर के निजी सहायक।

आदेशानुसार आदि,

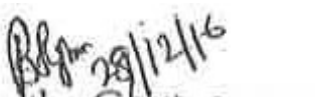

अपर सचिव, असम सरकार
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक-4प/चौ0वि0आ0-1-05/ 2015 / 6218 /पं0 रा0

अत्यावश्यक
ई मेल/ स्पीड पोस्ट

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

प्रेषक :

अरविन्द कुमार चौधरी, भा0प्र0से0
सचिव

सेवा में,

उप सचिव,
पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार,
11वाँ मंजिल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग,
कस्तूरबा गाँधी मार्ग,
नई दिल्ली-110001

पटना, दिनांक 04/10/1016

विषय : 14 वाँ वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में दिए जाने वाले Pereformance Grant की विमुक्ति के लिए Operational Criteria उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:- आपके कार्यालय का संचिका संख्या-M-11015/51/2016-FD दिनांक 16.09.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके कार्यालय के प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से 14वाँ वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में दिए जाने वाले Performance Grant की विमुक्ति के लिए Operational Criteria पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार को भेजन का अनुरोध किया गया है ।

उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक-5729 दिनांक 29.08.2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विषयांकित मामले से संबंधित प्रतिवेदन वित्त विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करा दिया गया है, जिसे वित्त विभाग, बिहार, पटना के **ज्ञापांक-VI.AA (14)KA-29/2015-7197 दिनांक 08.09.2016** द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उपलब्ध कराये जाने की सूचना पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को प्राप्त है ।

अतएव सुलभ प्रसंग हेतु वित्त विभाग, बिहार, पटना के **ज्ञापांक-VIAA(14)KA-29/2015-7197 दिनांक 08.09.2016** की छायाप्रति अनुलग्नक सहित संलग्न कर भेजी जा रही है ।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाये ।

विश्वासभाजन

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव, 4.10.2016

अनुलग्नक:- यथा उपर्युक्त ।

बिहार सरकार
व्यय विभाग
वित्त आयोग प्रभाग

प्रेषक :

राहुल सिंह,
सचिव (व्यय)

सेवा में :

निदेशक (एफसीडी),
वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग
वित्त आयोग प्रभाग, भारत सरकार
ब्लॉक नंबर 11, 5वीं मंजिल, सी.जी.ओ कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

पटना, दिनांक .....

विषय : **ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के संबंध में चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के कार्यान्वयन हेतु निष्पादन अनुदान के लिए दिशानिर्देश और परिचालन मानदंड।**

महोदय,

कृपया अपने दिनांक 17.11.2015 के पत्र सं.एफ.13(32) एफएफसी/ एफसीडी/2015 का संदर्भ लें। वर्ष 2016-17 के लिए चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के तहत ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) से संबंधित निष्पादन अनुदान सहायता के संबंध में परिचालन मानदंड और दिशानिर्देश आपके सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न हैं।

भवदीय,
हस्ताक्षरित/-
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)
दूरभाष सं. 0612-2217926
फैक्स न. 0612-2215238
ईमेल : secyexp.finance@bihar:gov.in

ज्ञापन संख्या सं. VIएए(14) केए-29/2015.. 7197 **पटना, दिनांक 08.09.16**

प्रतिलिपि : (i) संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
(ii) संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना : उनके दिनांक 29.08.2016 के पत्र सं. 5729 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

सचिव (व्यय)
दूरभाष सं. 0612-2217926, फैक्स न. 0612-2215238
ईमेल : secyexp.finance@bihar:gov.in

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक :
मुनि लाल जमादार, भा0प्र0से0
संयुक्त सचिव ।

सेवा में,
अवधेश कुमार
विशेष कार्य पदाधिकारी,
वित्त आयोग प्रभाग, वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 29.08.2016

विषय : 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अलोक में दिये जाने वाले Performance Grant की विमुक्ति के लिए Operational Criteria उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा **Performance Grant** की विमुक्ति के लिए व्यय विभाग (वित्त आयोग प्रभाग), भारत सरकार के मार्गदर्शिका के अनुरूप **Operational Criteria** संबंधी दिशा-निर्देश भारत सरकार को भेजने हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है ।

अनुलग्नक:- यथोपरि (दो प्रति मूल में)।

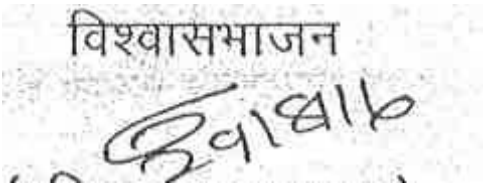

(मुनि लाल जमादार)
संयुक्त सचिव

बिहार सरकार
व्यय विभाग (वित्त आयोग प्रभाग)

चौदहवें वित्त आयोग द्वारा ग्राम पंचायतों को कार्य निष्पादन अनुदान के संवितरण संबंधी दिशा-निर्देश

(operational Criteria)

चौदहवें वित्त आयोग की अवधि 2015-16 से 2019-20 तक (5 वर्ष) है । 14वें वित्त आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष-2015-16 से मूल अनुदान तथा वर्ष 2016-17 से कार्य निष्पादन अनुदान केवल ग्राम पंचायतों को ही देने का प्रावधान किया गया है । आयोग की रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 9.70 के अनुसार ग्राम पंचायतों को अनुदान का 90 प्रतिशत अनुदान मूल अनुदान के रूप में एवं 10 प्रतिशत अनुदान कार्य निष्पादन के रूप में प्राप्त होगा ।

कार्य निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के लिए ग्रउम पंचायतों को निम्नलिखित पात्रता प्राप्त करनी होगी:-

1. **अंकेक्षित वार्षिक लेखा:-** आयोग की रिपोर्ट की बिन्दु संख्या 9.76 के अन्तर्गत कार्य निष्पादन अनुदानों की पात्रता पाने हेतु ग्राम पंचायतों को लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा प्रस्तुत करने होंगे, जो कि उस वर्ष जिसके लिए ग्राम पंचायत ने कार्य निष्पादप अनुदान का दावा प्रस्तुत किया है, से दो वर्ष पूर्व से अधिक समय से संबंधित नहीं होंगे। ऐसा अंकेक्षण महालेखाकार द्वारा प्रमाणित चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा किया जायेगा तथा अंकेक्षित खातों को प्रस्तुत किए जाने पर संबंधित ग्राम पंचायत को कार्य निष्पादन अनुदान की राशि देय होगी ।

2. **निजी आय में वृद्धि:-** आयोगी की रिर्पोट की बिन्दु संख्या 9.76 के अन्तर्गत कार्य निष्पादन अनुदानों की पात्रता पाने हेतु ग्राम पंचायतों को पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अपनी निजी आय में वृद्धि भी करनी होगी और यह वृद्धि लेखा परीक्षित लेखाओं के माध्यम से स्थापित होनी चाहिए । पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में निजी आय में वृद्धि होने पर संबंधित ग्राम पंचायत को कार्य निष्पादन अनुदान की राशि देय होगी। चूँकि पंचायतों में पूर्व से कोई कर नहीं लगायी जाती थी। अत: वित्तीय वर्ष- 2017-18 से करारोहण के उपरांत पंचायतों की निजी आय में वृद्धि की जाये। वित्तीय वर्ष-2016-17 से 2018-19 तक कार्य निष्पादन अनुदान पंचायतों में अंकेक्षित वार्षिक लेखा के आधार पर देय होगा।

दावा वर्ष	अंकेक्षित खाते	निजी आय वृद्धि का विवरण
2016-17	2013-14 एवं 2014-15	चूँकि पंचायतों में पूर्व से कोई कर नहीं लगायी जाती थी। अत: वित्तीय वर्ष- 2016-17 में कार्य निष्पादन अनुदान पंचायतों के अंकेक्षित वार्षिक लेखा के आधार पर देय होगा ।
2017-18	2014-15 एवं 2015-16	चूँकि पंचायतों में पूर्व से कोई कर नहीं लगायी जाती थी। अत: वित्तीय वर्ष- 2017-18 में कार्य निष्पादन अनुदान पंचायतों के अंकेक्षित वार्षिक लेखा के आधार पर देय होगा ।
2018-19	2015-16 एवं 2016-17	चूँकि पंचायतों में पूर्व से कोई कर नहीं लगायी जाती थी। अत: वित्तीय वर्ष- 2018-19 में कार्य निष्पादन अनुदान पंचायतों के अंकेक्षित वार्षिक लेखा के आधार पर

		देय होगा ।
2019-20	2016-17 एवं 2017-18	वर्ष- 2016-17 के अंकेक्षित खातों के अतिरिक्त वर्ष 2017-18 से पंचायतों के खातों में निजी आय की वृद्धि होनी आवश्यक है ।

अंकेक्षण योग्य रिकॉर्ड:- निष्पादन अनुदान के लिए दावा प्रस्तुत करने वाली ग्राम पंचायत के निम्नलिखित रिकार्ड का अंकेक्षण किया जायेगा:-

1. ग्राम पंचायतों का रोकड़ बही, खाता बही तथा बैंक खातों का अंकेक्षण
2. निजी आय की रोकड़ पुस्तिका, रिकार्ड, बैंक खाता संख्या, दैनिक लेनदेन एवं बैंक पासबुक का अंकेक्षण ।

ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के दावे उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किये जायेंगे तथा उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पंचायती राज विभाग को प्रस्तुत करेंगे एवं उसकी एक प्रति पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित करेगें ।

14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को देय कार्य निष्पादन अनुदान राशि का उपयोग विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-03 दिनांक 17.07.2015 में अंकित दिशा निर्देश के अन्तर्गत किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र इन्हीं दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रेषित किये जायेगें ।

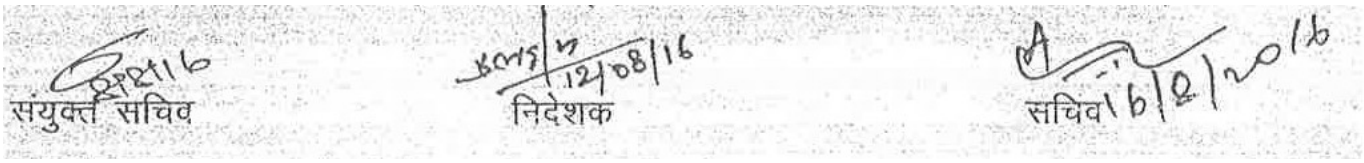

पत्र सं. 02 जीए वाईओ-05/2015 238 /

झारखंड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

प्रेषक :

राजेश कुमार वर्मा,
संयुक्त सचिव, झारखंड सरकार

सेवा में :

FAX
E-mail

श्री आर शिवकुमार,
अवर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार,
11वां तल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, 25 केजी मार्ग,
नई दिल्ली-110001

रांची, दिनांक: 20.01.2017

विषय : निष्पादन अनुदान हेतु संशोधित योजना प्रस्तुत करने के संबंध में।

संदर्भ : आपका पत्र सं. एम-11015/51/2016-एफडी दिनांक 09.01.2017

महोदय,

आपके उपर्युक्त पत्र के संदर्भ में, निष्पादन अनुदान के वितरण के लिए परिचालन मानदंड पर संशोधित योजना/दिशानिर्देश आपके संदर्भ और आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है।

अत:, आपसे अनुरोध है कि चौदहवें वित्त आयोग द्वरा यथा अनुशंसित वित्त वर्ष 2016-17 के लिए बकाया निष्पादन अनुदान की राशि यथाशीघ्र जारी करें।

धन्यवाद ।

भवदीय,

सरकार के संयुक्त सचिव
20.01.2017

संलग्नक : यथोपरि

अनिल/20.01.2017

झारखंड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

अधिसूचना

आ0सं0-02गै0यो0-05/2015 228 /पं0 राँची, दिनांक 20.01.17

14वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में कार्य निष्पादन अनुदान (Performance Grant) के रूप में ग्राम पंचायतां को कुल आवंटन का दस प्रतिशत राशि प्रावधानित है । कार्य निष्पादन अनुदान (Performance Grant) प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा निम्नलिखित दो शर्तों का पूर्ण पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा :-

क्र0	परफारमेंस ग्रांट प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त	आवश्यक शर्त पूरे किये जाने पर देय राशि	मापदण्ड
1	2	3	4
1	अंकेक्षण प्रतिवेदन	90 प्रतिशत	जिस वित्तीय वर्ष के लिए कार्य निष्पादन अनुदान प्रावधानित है उससे विगत दो वर्षों में से एक वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन समर्पित किया जाना आवश्यक होगा।
2	ओ0एस0आर0 में वृद्धि	10 प्रतिशत	पूर्व वित्तीय वर्ष की तुलना में OSR में वृद्धि किए जाने पर इस शर्त के लिए निर्धारित राशि देय होगा । पंचायत द्वारा OSR में की गयी वृद्धि के समानुपातिक अनुदान देय होगा । पंचायत द्वारा OSR में की गयी वृद्धि उनके अंकेक्षित खाते में परिलक्षित होनी चाहिए ।
	कुल :-	**100 प्रतिशत**	

2. यह राशि ग्राम पंचायतों को उनके द्वारा किये गये कार्यों के मूल्यांकन पर आधारित होगा एवं सारणी में अंकित मापदण्डों को पूरा किये जाने पर निर्धारित राशि मापदण्ड विशेष को पूर्ण करने वाली सभी पंचयतों के मध्य समान रूप से वितरित किया जायेगा ।

3. सारणी के क्रमांक-2 में अंकित OSR में वृद्धि की शर्त को पूर्ण करने वाली सभी पंचायतों के मध्य इस शर्त के लिए निर्धारित राशि पंचायत द्वारा OSR में की गई वृद्धि के समानुपातिक देय होगा । जैसे यदि पाँच पंचायत A, B, C, D एवं E द्वारा अपने OSR में क्रमश: 100 रुपये, 200 रु० 300 रु० 400 रु० एवं 500 रु. की वृद्धि गत वित्तीय वर्ष की तुलना में की गई है एवं इस शर्त के लिए कुल रु. 10000 राशि प्रावधानित है तो पंचायत C के लिए देय राशि निम्न रूप से परिगणित की जाएगी-

देय राशि = शर्त के लिए निर्धारित राशि/ पंचायतां द्वारा OSR में की गई कुल वृद्धि* पंचायत A द्वारा OSR में की गयी वृद्धि

= (10000 / 1500) *300
= 2000 रुपये

इस प्रकार पंचायत C को कुल 2000 रुपये इस शर्त को पूरा करने के लिए देय होगा ।

4. सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, झारखण्ड उक्त बिन्दुओं के आधार पर पंचायतवार प्रतिवेदन (Hard Copy & Soft Copy में) विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक / - 02गै०यो०-05/ 2015 228 /पं०, राँची, दिनांक:- 20.01.17

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची को राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक / - 02गै०यो०-05/ 2015 228 /पं०, राँची, दिनांक:- 20.01.17

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक / - 02गै०यो०-05/ 2015 228 /पं०, राँची, दिनांक:- 20.01.17

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त, झारखण्ड, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक / - 02गै०यो०-05/ 2015 228 /पं०, राँची, दिनांक:- 20.01.17

प्रतिलिपि:- राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/सभी आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी पज विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिशद, झारखण्ड/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/ सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक / - 02गै०यो०-05/ 2015 228 /पं०, राँची, दिनांक:- 20.01.17

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली को विकास आयुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक / - 02गै०यो०-05/ 2015 228 /पं०, राँची, दिनांक:- 20.01.17

प्रतिलिपि:- निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, 11वाँ ब्लॉक, 5वाँ तल, सी०जी०ओ० कॉप्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

झारखंड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

अधिसूचना

आ0सं0-02गै0यो0-05/2015 228 /पं0 राँची, दिनांक 20.01.17

14वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में कार्य निष्पादन अनुदान (Performance Grant) के रूप में ग्राम पंचायतां को कुल आवंटन का दस प्रतिशत राशि प्रावधानित है ।

फलत: वित्तीय वर्ष 2016-17 में 14वें वित्त आयोग अन्तर्गत कार्य निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा विगत दो वर्षों में से एक वर्ष का लेखा का अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त इस अनुदान हेतु अन्य शर्तें निम्नवत होंगी :-

क्र०	**परफारमेंस ग्रांट प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त**	**आवश्यक शर्त पूरे किये जाने पर देय राशि**	**मापदण्ड**
1	**2**	**3**	**4**
1	ओ०एस०आर० में वृद्धि	10 प्रतिशत	पूर्व वित्तीय वर्ष की तुलना में OSR में वृद्धि किए जाने पर इस शर्त के लिए निर्धारित राशि देय होगा । पंचायत द्वारा OSR में की गयी वृद्धि के समानुपातिक अनुदान देय होगा ।
2	पंचायतों में नियमित बैठक	15 प्रतिशत	पंचायत के लिए निर्धारित संख्या कुल 12 बैठक में से कम से कम 10 बैठक किए जाने पर यह शर्त पूरी समझी जाएगी।
3	पंचायत स्तरीय स्थायी समितियों का गठन	15 प्रतिशत	ग्राम पंचायत स्तर के लिए निर्धारित 07 स्थायी समिति के गठन किए जाने पर यह शर्त पूरी समझी जाएगी ।
4	पंचायत के वेबसाईट का निर्माण एवं संधारण	15 प्रतिशत	पंचायत द्वारा अपना वेबसाईट निर्माण एवं कम से कम प्रत्येक माह Update किये जाने पर इ शर्त के लिए निर्धारित राशि देय होगी ।
5	प्रियासॉफ्ट में प्रविष्टि	7.5 प्रतिशत	ग्राम पंचायत स्तर पर विगत दो वित्तीय वर्षों के प्रविष्टि का कार्य पूर्ण किए जाने पर यह शर्त पूरी समझी जाएगी ।
6	प्लान प्लस में प्रविष्टि	7.5 प्रतिशत	ग्राम पंचायत स्तर पर विगत दो वित्तीय वर्षों के प्रविष्टि का कार्य पूर्ण किए जाने पर यह शर्त अनुपालित समझी जाएगी ।
7	मनरेगा में प्रगति	10 प्रतिशत	वित्तीय वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित श्रम बजट का 80 प्रतिशत की प्राप्ति पर यह शर्त पूरी समझी जाएगी ।
8	खुले शौचालय से मुक्त/पेयजल से युक्त	10 प्रतिशत	ग्राम पंचायत में खुले शौच से मुक्ति अथवा पेयजल से युक्त होने पर इस शर्त के लिए निर्धारित राशि देय होगी ।
9	इन्दिरा आवास योजना में प्रगति	10 प्रतिशत	वित्तीय वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित लक्ष्य का 25 प्रतिशत अथवा इससे अधिक की प्राप्ति पर शर्त के लिए निर्धारित राशि देय होगी ।
	कुल :-	**100 प्रतिशत**	

...2/...

2. यह राशि ग्राम पंचायतों को उनके द्वारा किये गये कार्यों के मूल्यांकन पर आधारित होगा एवं सारणी में अंकित मापदण्डों को पूरा किये जाने पर निर्धारित राशि मापदण्ड विशेष को पूर्ण करने वाली सभी पंचायतां के मध्य समान रूप से वितरित किया जायेगा । जैसे यदि पूरे राज्य में सौ पंचायते मनरेगा में प्रगति की शर्त को पूरा करती हैं तो इस शर्त के लिए निर्धारित राशि उनके मध्य समान रूप से वितरित की दी जायेगी ।

3. सारणी के क्रमांक-1 में अंकित OSR में वृद्धि की शर्त को पूर्ण करने वाली सभी पंचायतों के मध्य इस शर्त के लिए निर्धारित राशि पंचायत द्वारा OSR में की गई वृद्धि के समानुपातिक देय होगा । जैसे यदि पाँच पंचायतों A, B, C, D एवं E द्वारा अपने OSR में क्रमश: 100 रुपये, 200 रु., 300 रु., 400 रु. एवं 500 रु. की वृद्धि गत वित्तीय वर्ष की तुलना में की गई है एवं इस शर्त के लिए कुल रु० 10000 राशि प्रावधानित हे तो पंचायत C के लिए देय राशि निम्न रूप से परिगणित की जाएगी-

= (10000 / 1500) *300

= 2000 रुपये

इस प्रकार पंचायत C को कुल 2000 रुपये* इस शर्त को पूरा करने के लिए देय होगा ।

4. सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, झारखण्ड उक्त बिन्दुओं के आधार पर पंचायतवार प्रतिवेदन (Hard Copy & Soft Copy में) विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराना सुनिश्चित करेंगे ।

5.9.16
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक / - 02गै०यो०-05/ 2015 2671 /पं०, राँची, दिनांक:- 7.9.16

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची को राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

5.9.16
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक / - 02गै०यो०-05/ 2015 2671 /पं०, राँची, दिनांक:- 7.9.16

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

5.9.16
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक / - 02गै०यो०-05/ 2015 2671 /पं०, राँची, दिनांकः- 7.9.16

प्रतिलिपिः- विकास आयुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

5.9.16
सरकार के सचिव ।

र

ज्ञापांक / - 02गै०यो०-05/ 2015 2671 /पं०, राँची, दिनांकः- 7.9.16

प्रतिलिपिः- राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/सभी आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी पज विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिशद, झारखण्ड/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/ सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

5.9.16
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक / - 02गै०यो०-05/ 2015 2671 /पं०, राँची, दिनांकः- 7.9.16

प्रतिलिपिः- संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली को विकास आयुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

5.9.16
सरकार के सचिव ।

र

ज्ञापांक / - 02गै०यो०-05/ 2015 2671 /पं०, राँची, दिनांकः- 7.9.16

प्रतिलिपिः- निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, 11वाँ ब्लॉक, 5वाँ तल, सी०जी०ओ० कॉप्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

5.9.16
सरकार के सचिव ।

अति तत्काल

केरल सरकार

सं. एफएम3/180/ 2015/एलएसजीडी

स्थानीय स्वशासन (एफएम) विभाग
तिरुवनंतपुरम, दिनांक : 27/10/2016

प्रेषक :

सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

सचिव,
पंचायती राज मंत्रालय,
11वां तल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग,
25 के. जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001

महोदय,

विषय : **स्थानीय स्वशासन विभाग -चौदहवें वित्त आयोग - स्थानीय निकायों के लिए निष्पादन अनुदान जारी करने के संबंध में**

संदर्भ : 1. श्री ए. के. गोयल, अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के अ.शा. पत्र सं. एन- 11013/22/2015-एफडी दिनांक 01/02/2016
2. राज्य सरकार का दिनांक 29/09/2016 का समसंख्यक पत्र
3. जी.ओ. (पी) सं. 38/2016/ एलएसजीडी, दिनांक 27/10/2016

मैं आपका ध्यान उपरोक्त में उल्लेखित संदर्भ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और सूचित करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने स्थानीय स्वशासन के बीच निष्पादन अनुदान के वितरण के लिए परिचालन संबंधी मानदंडों पर योजना/दिशानिर्देश तैयार किए हैं। उसे उपरोक्त बिंदु सं. 3 में उद्धृत संदर्भ के साथ सरकारी आदेश के रूप में जारी किया गया है। इसकी एक प्रति आगे की कार्रवाई के लिए इस पत्र के साथ संलग्न है। कृपया केरल राज्य को यथाशीघ्र निष्पादन अनुदान जारी करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

भवदीय,

एस. डी. सुनील कुमार
सरकार का उप सचिव
कृते सरकार के प्रधान सचिव

केरल सरकार

सार-संक्षेप

स्थानीय स्वशासन विभाग - चौदहवां केंद्रीय वित्त आयोग- स्थानीय स्वशासन निकायों के बीच निष्पादन अनुदान के कार्यान्वयन और वितरण हेतु दिशानिर्देश/योजना –आदेश जारी किए गए

स्थानीय स्वशासन (एफएम) विभाग

जी.ओ. (पी) सं. 38/2016/ एलएसजीडी, दिनांक, तिरुवनंतपुरम, 27/10/2016

पढ़ें :- (1) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देश पत्र सं. 13 (32)एफएफसी/एफसीडी/2015-16 दिनांक 8.10.2015

(2) उच्च स्तरीय निगरानी समिति की 18/08/2016 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

आ दे श

चौदहवें वित्त आयोग ने विधिवत रूप से गठित पंचायतों (ग्रामीण स्थानीय निकायों) और नगरपालिकाओं (शहरी स्थानीय) को दो भागों में अनुदान सहायता की अनुशंसा की है, अर्थात् **(i) एक बुनियादी अनुदान और (ii) एक निष्पादन अनुदान।** ग्राम पंचायतों के मामले में, 90% अनुदान बुनियादी अनुदान होगा और 10% निष्पादन अनुदान होगा। नगरपालिकाओं के मामले में, बुनियादी और निष्पादन अनुदान के बीच विभाजन 80:20 के आधार पर होगा। चौदहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की है कि ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं को निष्पादन अनुदान के वितरण के लिए विस्तृत प्रक्रिया और परिचालन मानदंड राज्य सरकारों द्वारा निम्न पात्रता शर्तों के अध्यधीन तय किए जाएंगे।

ग्राम पंचायतों (जीपीएस) के लिए

i. ग्राम पंचायतों को लेखापरीक्षित लेखा प्रस्तुत करने होंगे जो उस वर्ष, जिसमें ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादन अनुदान का दावा प्रस्तुत किया जा रहा है, से पूर्ववर्ती दो वर्ष पहले से संबंधित न हों ।
ii. ग्राम पंचायतों को पिछले वर्ष की तुलना में अपने स्वयं के राजस्व में वृद्धि दिखानी होगी, जो कि लेखापरीक्षित लेखा में परिलक्षित हो।

नगरपालिकाओं के लिए

i. नगरपालिकाओं को उस वर्ष के लेखापरीक्षित लेखा प्रस्तुत करने होंगे, जो नगरपालिकाओं द्वारा निष्पादन अनुदान का दावा पेश करने के वर्ष के पूर्ववर्ती दो वर्ष पहले से संबंधित न हों ।

ii. नगर पालिका को पिछले वर्ष की तुलना में अपने राजस्व में वृद्धि दिखानी होगी, जैसा कि लेखापरीक्षित लेखाओं में दर्शाया गया हो। राजस्व में सुधार इन लेखापरीक्षित लेखाओं के आधार पर अवधारित किया जाएगा, न कि किसी अन्य आधार पर। किसी विशेष वर्ष में स्वयं के राजस्व में वृद्धि के संगणन के लिए, चुंगी और प्रवेश कर से प्राप्त आय को बाहर रखा जाना चाहिए।

iii. नगरपालिका को पंचाट अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष बुनियादी शहरी सेवाओं से संबंधित सेवा स्तर बेंचमार्क को मापना और प्रकाशित करना होगा तथा इसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना होगा। शहरी विकास मंत्रालय के सेवा स्तर बेंचमार्क का इस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा सकता है।

भारत सरकार के अनुदेशों पर विचार करने के पश्चात, राज्य सरकारों द्वारा निष्पादन अनुदान के लिए पात्र स्थानीय निकायों के चयन और उनके बीच निष्पादन अनुदान के वितरण के लिए निम्नलिखित योजना/दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

i. ग्राम पंचायतें और नगरपालिकाएं/नगर निगम निष्पादन अनुदान का दावा उस वर्ष के लेखापरीक्षित लेखाओं की प्रतिलिपि के साथ प्रत्येक वर्ष जून माह के पहले सप्ताह तक उप निदेशक, पंचायत को प्रस्तुत करना होगा, जो उनके द्वारा निष्पादन अनुदान का दावा पेश करने के वर्ष से पूर्ववर्ती दो वर्ष पहले से संबंधित न हों। वित्त वर्ष 2016-17 के लिए निष्पादन अनुदान का दावा करने हेतु 2014-15 के लेखापरीक्षित लेखा जमा करने होंगे। उप निदेशक पंचायत/क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, शहरी मामले संवीक्षा के बाद आवेदन को 15 जून तक निदेशक पंचायत/निदेशक, शहरी मामले को भेजेगा। निष्पादन अनुदान के लिए पात्र स्थानीय निकायों की सूची के समेकन के बाद, जैसा कि उपर्युक्त में वर्णित दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है, पंचायत निदेशक/शहरी मामलों के निदेशक निष्पादन अनुदान के लिए पात्र स्थानीय निकायों की सूची 20 जून तक स्थानीय स्वशासन विभाग में सरकार को प्रस्तुत करेंगे। राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष के जुलाई माह की 10 तारीख तक पात्र स्थानीय निकायों की सूची प्रकाशित करेगी। वर्ष 2016-17 के मामले में, उपर्युक्त प्रक्रिया नवंबर 2016 में पूरी की जाएगी।

2. लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार ग्राम पंचायतओं और नगरपालिकाओं को पिछले वर्ष की तुलना में अपने राजस्व में वृद्धि दिखानी होगी। केरल राज्य लेखापरीक्षा विभाग के निदेशक उन स्थानीय स्वशासनों की सूची प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होंगे जिन्होंने अपना राजस्व बढ़ाया है।

उपरोक्त दो शर्तों के अलावा, शहरी मामलों का निदेशक यह सुनिश्चित करेगा कि केरल की सभी नगरपालिकाएं जलापूर्ति, सीवरेज प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और बरसाती पानी की निकासी के लिए सेवा स्तर के मानदंड तय और प्रकाशित करेंगी।

ii. शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली मूलभूत सेवाओं के मानकों की बेंचमार्किंग को प्रत्येक वर्ष फरवरी के प्रथम सप्ताह तक शहरी मामलों के निदेशक द्वारा संकलित किया जाएगा और उसे राज्य सरकार को भेजा जाएगा। राज्य सरकार प्रत्येक वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले इसे सत्यापित और अधिसूचित करेगी।

iii. राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित फॉर्मूला का उपयोग स्थानीय स्वशासन के बीच निष्पादन अनुदान के वितरण के लिए किया जाएगा।

iv. वित्त विभाग में राज्य वित्त आयोग प्रकोष्ठ भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरांत स्थानीय स्वशासनों को निष्पादन अनुदान जारी करेगा।

राज्यपाल के आदेशानुसार
टी.के. जोस आईएएस,
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,
1. सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। (सह-पत्र के साथ)
2. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार। (सह-पत्र के साथ)
3. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार। (सह-पत्र के साथ)
4. पंचायत निदेशक, तिरुवनंतपुरम।
5. शहरी मामलों के निदेशक, तिरुवनंतपुरम।
6. निदेशक, राज्य लेखापरीक्षा विभाग, तिरुवनंतपुरम।
7. महालेखाकार लेखापरीक्षा/ए एवं ई (एलबीए एवं ए), तिरुवनंतपुरम।
8. वित्त (सीएसएफसी) विभाग:
9. स्थानीय स्वशासन (डीसी) विभाग।
10. स्थानीय स्वशासन (एबी) विभाग।
11. कार्यकारी निदेशक, आईकेएम (आईएसजीडी की वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु)

अग्रेषित//आदेशानुसार

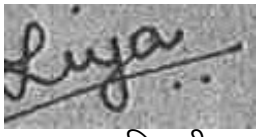

अनुभाग अधिकारी

स्पीड पोस्ट द्वारा

अति तत्काल

केरल सरकार

सं. एफएम3/180/2015/एलएसजीडी

स्थानीय स्वशासन (एफएम) विभाग
तिरुवनंतपुरम, दिनांक : 04/02/2017

प्रेषक :

सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

श्री आर शिवकुमार,
अवर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय,
11वां तल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग,
25 केजी मार्ग, नई दिल्ली-110001

महोदय,

विषय :- स्थानीय स्वशासन विभाग -चौदहवां वित्त आयोग - स्थानीय निकायों के लिए निष्पादन अनुदान जारी करना- स्पष्टीकरण के संबंध में।

संदर्भ :- 1. केरल सरकार द्वारा जारी पत्र सं. जी.ओ.(पी) सं. 38/2016/ एलएसजीडी, दिनांक 27/10/2016
2. राज्य सरकार का दिनांक 27/10/2016 का समसंख्यक पत्र
3. आपका पत्र सं. एन- 11015/51/2016-एफडी, दिनांक 09/01/2017
4. राज्य सरकार का दिनांक 24/01/2017 का समसंख्यक पत्र
5. आपका पत्र सं. एन- 11015/51/2016-एफडी, दिनांक 31/01/2017

मुझे उपरोक्त में उल्लेखित संदर्भ पर आपका ध्यान आकर्षित करने और यह सूचित करने का निदेश दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार पहले उपर्युक्त में बिंदु सं. 1 में उद्धृत संदर्भ में, राज्य सरकार द्वारा जारी योजना/दिशानिर्देशों में दो अनिवार्य मानदंड शामिल किए गए थे। राज्य सरकार ने निष्पादन अनुदान हेतु स्थानीय निकायों की पात्रता निर्धारण हेतु चौदहवें वित्त आयोग/भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड में कोई परिवर्तन नहीं किया है। जनसंख्या, वंचन सूचकांक, क्षेत्र और कर प्रयास पात्र स्थानीय सरकारों के बीच निष्पादन अनुदान के वितरण के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड हैं जिनका चयन चौदहवें वित्त आयोग/भारत सरकार द्वारा निर्धारित दो अनिवार्य मानदंडों के आधार पर किया जाता है। ये मानदंड केरल के चौथे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर अपनाए गए हैं।

इस स्पष्टीकरण को स्वीकार किया जाए और राज्य सरकार को यथाशीघ्र निष्पादन अनुदान जारी करने की दिशा में कार्रवाई की जाए ।

भवदीय,

डॉ. वी. के. बेबी, आईएएस
विशेष सचिव
कृते सरकार के प्रधान सचिव

******

संख्या: /वि०आ०निदे०/2016

प्रेषक :

सचिव,
वित्त,
उत्तराखण्ड शासन। 26/12/16

सेवा में,

निदेशक,
वित्त आयोग प्रभाग,
वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार
ब्लाक 11, 5वां तल सी०जी०ओ० कॉप्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 ।

वित्त आयोग (वित्त प्रभाग) **देहरादून:: दिनांक 13 : दिसंम्बर, 2016**

विषय: - 14 वॉ वित्त आयोग के अर्न्तगत कार्य निष्पादन अनुदान (Performance Grant) के लिए पात्रता हेतु दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में संवितरण की स्कीम का प्रेषण।

महोदय,

कृपया 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को कार्य निष्पादन अनुदान अवमुक्त करने हेतु राज्य सरकारों द्वारा पात्रता हेतु एक संवितरण की योजना **(Scheme)** तैयार कर उपलब्ध कराना था । प्रशासनिक विभाग पंचायतीराज उत्तराखण्ड द्वारा संवितरण की योजना तैयार कर ली गई है जिसे संलग्न-1 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अत: निवेदन है कि कृपया संवितरण की योजना **(Scheme)** के अनुसार वर्ष 2016-17 हेतु कार्य निष्पादन अनुदान (Performance Grant) के अर्न्तगत ₹36.92 करोड़ अवमुक्त करने का कष्ट करें, ताकि पात्र ग्राम पंचायतों को धनराशि अवमुक्त की जा सके।

भवदीय,

(अमित सिंह
सचिव।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या: 364 /वि0 आ0निदे0/2016 तद्-दिनांक ।
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- सचिव, पंचातीराज मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
2- निदेशक, पंचायतीराज, डाडा लखौण्ड, निकट आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून ।

संलग्नक - 1

संख्या: 1121 /2016-96 (06)/ 2015 टी०सी०-1

प्रेषक :

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड ।

पंचायतीराज अनुभाग-1 **देहरादून:: दिनांक 16 मई, 2016**

विषय: - 14वॉ वित्त आयोग की संस्तुतियों के अर्न्तगत कार्य निष्पादन अनुदान की धनराशि अवमुक्त कराने हेतु लगायी गयी शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतां में मूलभूत नागरिक सुविधाओं के स्तर को सुधारने के लिये धनराशि के संक्रमण की संस्तुति की गयी है । संस्तुत की जाने वाली कुल राशि के सापेक्ष 90 प्रतिशत राशि मूल अनुदान व शेष 10 प्रतिशत राशि कार्य निषादन अनुदान के रूप में पंचायतों को संक्रमित किये जाने की संस्तुति की गयी है ।

2. 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर कार्यों / योजनाओं में गुणवत्ता, पारदिर्शता, अधिकतम जनसहभागिता एवं आय के स्रोतों में वृद्धि के उद्देश्य से वर्ष 2016-17 से कार्य निष्पादन अनुदान की धनराशि प्राप्त करने हेतु निम्न दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं:-

(1) लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा प्रस्तुत करना, जो कि उस वर्ष, जिसके लिए ग्राम पंचायत ने कार्य निष्पादन अनुदान का दावा प्रस्तुत किया है, उससे दो वर्ष पूर्व से अधिक समय से सम्बन्धित नहीं होगें ।

(2) ग्राम पंचायतों को पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अपने राजस्व में बढ़ोत्तरी करनी होगी ।

(3) कार्य निष्पादन अनुदान के वितरण में उन ग्राम पंचायतों को वरीयता दी जायेगी, जिनके द्वारा उस वर्ष, जिसके लिए ग्राम पंचायत द्वारा कार्य निष्पादन अनुदान का दावा प्रस्तुत किया है, उससे दूसरे पूर्ववर्ती वर्ष के समस्त कार्यों / योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) कराया गया हो ।

3. अत: उपरोक्त दिशा-निर्देशों के क्रम में कार्य निष्पादन अनुदान हेतु ऐसी ग्राम पंचायतें पात्र होंगी, जिनके द्वारा निम्न प्रकार अनुपालन सुसनिश्चित किया गया हो:-

(क) वित्तीय वर्ष 204-15 के सभी अभिलेखों की लेखा परीक्षा करायी गयी हो ।

(ख) नये आय के स्रोत चिन्हित कर ग्राम पंचायत की आय में वृद्धि की गयी हो अथवा पूर्व से विद्यमान स्रोतों से ही आय में कम से कम 10 प्रतिशत वृद्धि की गयी हो ।

4. उपरोक्तानुसार 02 शर्तों का अनुपालन पूर्ण करने वाली ग्राम पंचायतों में से ऐसी ग्राम पंचायतों को वरीयता दी जायेगी, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2014-15 के कार्यों / योजनाओं का सामजिक अंकेक्षण भी कराया हो । इस प्रकार पात्र ग्राम पंचायतों में कार्य निष्पादन अनुदान की धनराशि का वितरण निम्न प्रकार किया जायेगा :

1. सर्वप्रथम सभी ग्राम पंचायतों को उन्हें आवंटित मूल अनुदान की 10 प्रतिशत राशि के बराबर कार्य निष्पादन अनुदान दिया जायेगा।

2. इस प्रकार वितरण के पश्चात अवशेष राशि, यदि उपलब्ध हो, की 50 प्रतिशत राशि ऐसी ग्राम पंचायतों को आवंटित की जायेगी, जिन्होंने संगत वर्ष का सामाजिक अंकेक्षण भी कराया हो ।

3. अन्तिम अवशेष राशि को सभी पात्र पंचायतों के मध्य समानुपात से वितरित कर दिया जायेगा।

5. अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार वर्ष 2016-17 में कार्य निष्पादन अनुदान दावा प्रस्तुत किये जाने हेतु पात्र ग्राम पंचायतों का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव, जिसमें शर्तों के अनुपालन से सम्बन्धित साक्ष्य अनिवार्य रूप से संलग्न हों, जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जायें । जिला स्तर पर परीक्षणोपरान्त जिलाधिकारी की संस्तुति से प्रस्ताव शासन/निदेशक, पंचायतीराज को प्रस्तुत किये जायेंगे, जिसके आधार पर कार्य निष्पादन अनुदान की राशि का संक्रमण किया जा सकेगा ।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव ।

संख्या: 1121 / 2016-96(06)/ 2015 टी०सी०-11 तद्-दिनांकित ।
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड ।
4. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तराखण्ड ।
5. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
(सुशील कुमार)

अपर सचिव

संख्या: 60 /XII (1)/ 2017-96(06)/ 2015 टी0सी0-II

प्रेषक :

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड ।

पंचायतीराज अनुभाग-1 **देहरादून दिनाँक 30 जनवरी, 2017**

विषय: - 14वॉ वित्त आयोग की संस्तुतियों के अर्न्तगत कार्य निष्पादन अनुदान की धनराशि अवमुक्त कराने हेतु लगायी गयी शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पंचायतीराज अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1121/2016-96(06)/ 2015 टी.सी.-II दिनांक 16.05.2016 के माध्यम से 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में मूलभूत नागरिक सुविधाओं के स्तर को सुधारने के लिये धनराशि के संक्रमण की संस्तुति की गयी है । संस्तुत की जाने वाली कुल राशि के सापेक्ष 90 प्रतिशत राशि मूल अनुदान व शेष 10 प्रतिशत राशि कार्य निषादन अनुदान के रूप में पंचायतों को संक्रमित किये जाने की संस्तुति की गयी है ।

2- 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायतीराज अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1121/2016-96(06)/ 2015 टी.सी.-II दिनॉक 16.05.2016 के माध्यम से कार्य निष्पादन अनुदान की धनराशि प्राप्त करने हेतु निम्न दिशा-निर्देश जारी किये गये थे :-

भारत सरकार के पत्र संख्या- F.NO. N-11013/22/2015 FD दिनॉक 22 दिसंम्बर 2016 के क्रम में उपरोक्त शासनादेश में संशोधन करते हुए ग्राम पंचायतों हेतु कार्य निष्पादन अनुदान की पात्रता एवं वितरण के लिए निम्न दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं:-

3- कार्य निष्पादन अनुदान हेतु ऐसी ग्राम पंचायतें पात्र होंगी जिनके द्वारा निम्न प्रकार अनुपालन सुनिश्चित किया गया हो:-

(क) जिस वर्ष के लिए कार्य निष्पादन अनुदान का दावा प्रस्तुत किया गया है उससे दो वर्ष पूर्व के सभी अभिलेखों की लेखा परीक्षा करयी गयी हो ।

अर्थात- वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कार्य निष्पादन अनुदान का दावा प्रस्तुत करने हेतु लेखा वर्ष 2014-15 के सभी अभिलेखों की लेखा परीक्षा करायी गयी हो । इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु लेखा वर्ष 2015-16 वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु लेखा वर्ष 2016-17 वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु लेखा वर्ष 2017-18 के सभी अभिलेखों की लेखा परीक्षा करायी गयी हो ।

(ख) कार्य निष्पादन अनुदान हेतु दावा प्रस्तु किये जाने वाले वर्ष में पूर्ववर्ती वर्ष के सापेक्ष नये आय के स्रोत चिन्हित कर ग्राम पंचायत की आय में वृद्धि की गयी हो अथवा पूर्व से विद्यमान स्रोतों से ही आय में वृद्धि की गयी हो और यह वृद्धि ऑडिट रिर्पोट मे परिलक्षित होनी चाहिए ।

4- उपरोक्त के अनुसार पात्रता पूर्ण करने वाली ग्राम पंचायतों में कार्य निष्पादन अनुदान की धनराशि का वितरण निम्न प्रकार किया जाएगार:-

1. सर्वप्रथम सभी पात्र ग्राम पंचायतों को उन्हें आवंटित मूल अनुदान की 10 प्रतिशत राशि के बराबर कार्य निष्पादन अनुदान दिया जायेगा ।

2. इस प्रकार वितरण के पश्चात अवशेष धनराशि को सभी पात्र ग्राम पंचायतों में राज्य वित्त आयोग द्वारा ग्राम पंचायतों को धनराशि संक्रमण हेतु निर्धारित सूत्र (Formula) के आधार पर वितरित कर दिया जाएगा ।

5-. अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार वर्ष 2016-17 में कार्य निष्पादन अनुदान दावा प्रस्तुत किये जाने हेतु पात्र ग्राम पंचायतों का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव, जिसमें शर्तों के अनुपालन से सम्बन्धित साक्ष्य अनिवार्य रूप से संलग्न हो, जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जाय । जिला स्तर पर परीक्षणोपरान्त जिलाधिकारी की संस्तुति से प्रस्ताव शासन/निदेशक, पंचायतीराज को प्रस्तुत किये जायेंगे, जिसके आधार पर कार्य निष्पादन अनुदान की राशि का संक्रमण किया जा सकेगा ।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव ।

संख्या: 60 / XII(1)/ 2017-96(06)@ 2015 टी०सी०-II तद्-दिनॉकित ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

3. सचिव, राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड शासन ।
4. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड ।
6. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

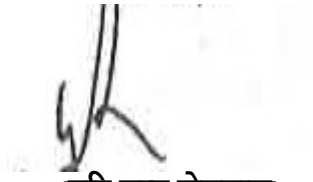

(हरि चन्द्र सेमवाल)
अपर सचिव

*****